अनुदान संख्या 10 – कोयला मंत्रालय
GRANT No. 10–MINISTRY OF COAL

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	192,07,00		292,07,00	263,04,93	–29,02,07
पूरक	Supplementary	100,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					13,64,26
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	25,00,00		68,00,00	67,94,54	–5,46
पूरक	Supplementary	43,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					3,88

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें(2902.07 लाख रु.) दिसंबर, 2005 में प्राप्त किए गए 10000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 29 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.2902.07 lakhs) constituted 29 percent of the supplementary grant of Rs.10000.00 lakhs obtained in December, 2005 and 10 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	1091.00	704.66	692.22	–12.44
पु.	R.	–386.34			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2230'' श्रम तथा रोजगार	Major Head "2230" Labour and Employment				
मू.	O.	2915.00	2615.00	2615.00	. .
पु.	R.	–300.00			
मुख्य शीर्ष "2803'' कोयला और लिग्नाइट	Major Head "2803" Coal and Lignite				
मू.	O.	13681.00	23003.08	22997.71	–5.37
पू.	S.	10000.00			
पु.	R.	–677.92			
मुख्य शीर्ष "2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas		1520.00	. .	–1520.00

(I) 1520.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''2552''- ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान'' के अंतर्गत वर्ष के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रा में कोल इंडिया लिमिटेड के पास कार्यान्वयन के लिए कोई स्कीम न होने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1520.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2552" – "Other Expenditure – Provision for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim"- due to the Coal India Limited has no scheme for implementation in North Eastern Region including Sikkim during the year.

(II) मुख्य शीर्ष "3451'' - ''सचिवालय - कोयला मंत्रालय'' के अंतर्गत 398.78 लाख रु. की बचत (1091.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, छुट्टी यात्रा रियायत, यात्रा व्ययों के कम दावे प्राप्त होने, स्कीमों को मूर्त रूप न दिए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा अनिवार्य कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Coal" - saving of Rs.398.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1091.00 lakhs) was due to non-filling of vacant posts, receipt of less claims towards medical reimbursement, leave travel concession, travel expenses, non-materialisation of schemes and mandatory cut imposed by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष "2230'' - ''श्रम - श्रमिक के लिए सामाजिक सुरक्षा - कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998'' के अंतर्गत 300.00 लाख रु. की बचत (2752.00 लाख रु.

(III) Under Major Head "2230" – "Labour – Social Security for Labour – Coal Mines Pension Scheme, 1998" – saving of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2752.00

के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को प्रत्याशित सीमा तक मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2803'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''अनुसंधान और विकास - अन्य स्कीमें''- 524.00 लाख रु. की बचत (2008.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सवांग वाशरी में संयंत्रा की स्थापना और उपस्करों की अधिप्राप्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य व्यय''-

(क) ''क्षेत्रीय अन्वेषण''- 142.00 लाख रु. की बचत (4988.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतिम तिमाही में कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''पर्यावरणीय उपाय तथा अवतलन नियंत्राण''- 1971.00 लाख रु. की बचत (4486.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अपसर्जित कोयला खानों के पुन:स्थापन के लिए कुछ स्कीमों को मूर्त रूप न दिए जाने, संकटग्रस्त क्षेत्रों से और अग्नि एवं अवतलन नियंत्राण संबंधी स्कीमों से लोगों को स्थानांतरित किए जाने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1610.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2803'' - ''कोयला और लिग्नाइट कंपनियों को सहायता - कोयला और कोक पर उपकर (उत्पाद शुल्क) संग्रहण के लिए अदायगी'' के अंतर्गत 5000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2803'' अन्य व्यय - विस्तृत तलभेदन'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 395.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1881.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दसवीं योजना के दौरान तलभेदन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

lakhs) was due to non-materialisation of the scheme to the extent anticipated.

(IV) Under Major Head "2803" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Research and Development - Other Schemes" - saving of Rs.524.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2008.00 lakhs) was due to delay in installation of plant at Sawang Washery and procurement of equipments.

(B) "Other Expenditure" -

(a) "Regional Exploration" – saving of Rs.142.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4988.00 lakhs) was due to less release of funds in last quarter.

(b) "Environmental Measures and Subsidance Control" – saving of Rs.1971.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4486.00 lakhs) was due to non-materialisation of some schemes for restoration of abandoned coal mines, shifting of people from endangered areas and schemes for fire and subsidence control.

2.(I) The above savings were partly (Rs.1610.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.5000.00 lakhs under Major Head "2803" - "Assistance to Coal and Lignite Companies - Payment against collection of Cess (excise duty) on Coal and Coke".

(II) Savings "2803" were also offset by excess under Major Head - "Other Expenditure - Detailed Drilling" – excess of Rs.395.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1881.00 lakhs) was due to requirement of more funds to achieve the target of drilling during the Xth plan.

3. ***कोयला खान श्रमिक आवास तथा सामान्य कल्याण निधि:-***

कोयला खान कल्याण निधि अधिनियम, 1947 के अधीन कोयला और कोक के प्रेषण पर लगाए गए उपकर की प्राप्तियां शीर्ष "0038'' - ''संघ उत्पाद शुल्क'' को क्रेडिट की जाती थी तथा बजटीय आवंटन के माध्यम से कुछ राशि निधि को अंतरित कर दी जाती थी। यह अधिनियम पहली अक्तूबर, 1986 को निरस्त कर दिया गया है; तथापि, संपूर्ण राशि भारत की समेकित निधि को अंतरित नहीं की गई थी।

वर्ष 2005-06 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:-

3. ***Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund:-***

The proceeds of cess levied on the despatch of Coal and Coke under Coal Mines Welfare Fund Act, 1947 was credited to the head "0038" - "Union Excise Duties" and some amount out of it was being transferred to the fund through budgetary allocation. The said Act has been repealed on 1st October, 1986 however, all the amounts were not transferred to Consolidated Fund of India.

The account of the fund for the year 2005-06 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	11,98,05
प्राप्तियां	Receipts	18,83
अदायगियां	Payments	10,25
अंतशेष	Closing Balance	12,06,63